



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 1444]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 11, 2009/भाद्र 20, 1931

No. 1444]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 11, 2009/BHADRA 20, 1931

विधि और न्याय मंत्रालय

(न्याय विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 सितम्बर, 2009

का.आ. 2313(अ).—केंद्रीय सरकार, ग्राम न्यायालय अधिनियम, 2008 (2009 का 4) की धारा 1 की उप-धारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, 2 अक्टूबर, 2009 को उस तारीख के रूप में नियत करती है, जिसको उक्त अधिनियम के उपबंध उन सभी क्षेत्रों को प्रवृत्त होंगे जिसको उक्त अधिनियम की धारा 1 की उप-धारा (2) में यथा उपबंधित यह विस्तारित है।

[सं. जे-12021/1/2009-जे आर]

रमेश अभिषेक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF LAW AND JUSTICE

(Department of Justice)

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th September, 2009

S.O. 2313(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (3) of Section 1 of the Gram Nyayalayas Act, 2008 (No. 4 of 2009), the Central Government hereby appoints the 2nd day of October, 2009, as the date on which the provisions of the said Act shall come into force in the areas to which this Act, as provided in sub-section (2) of Section 1 of the said Act, 2008, extends.

[No. J-12021/1/2009-JR]

RAMESH ABHISHEK, Jt. Secy.